राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या– 1194, 1195 व 1196/2017 .....जिला.....उदयपुर.....

उनवान – मै0 मेवाड़ हॉस्पिटल प्रा0लि0, प्रियदर्शिनीनगर बेदला, उदयपुर बनाम सहायक आयुक्त प्रतिकरापवंचन, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्डपीठ

श्री वी.श्रीनिवास,अध्यक्ष
श्री नत्थूराम, सदस्य

15.09.2017

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री पंकज घीया एवं विभाग की ओर से श्री आर.के.अजमेरा उप–राजकीय अधिवक्ता बहस के दौरान उपस्थित हुए।

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर प्रतिकरापंवचन, उदयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) के पृथक–पृथक आदेश दिनांक 17.01.2017 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम 2003"** कहा जायेगा) की धारा 26, 55 एवं 61 के तहत् कायम की गयी मांग राशियों के संबंध में पारित किया गया है, से असंतुष्ट होकर, अपीलार्थी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के समक्ष पेश करने पर अपीलीय अधिकारी ने संयुक्त आदेश दिनांक 15.05.2017 के द्वारा धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति को अपास्त कर, कर व ब्याज को यथावत रखते हुए, अपीलार्थी की अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर यह तीनों अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्रों के अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई, जिनका विवरण निम्नानुसार :–

अ.सं.	कर नि. वर्ष	अपी.अधिकारी की अपील सं.	अपी. अधि. के समक्ष स्थगन हेतु आवेदित राशि	अपीलीय. अधिकारी द्वारा स्थगित राशि (शास्ति)	कर बोर्ड के समक्ष स्थगन हेतु आवेदित राशि (कर व ब्याज)
1	2	3	4	5	6
1194/17	2012–13	282/VAT/16–17	17,59,272	10,02434	7,56838
1195/17	2013–14	283/VAT/16–17	25,00,481	14,75,210	10,25,271
1196/17	2014–15	284/VAT/16–17	31,48,025	19,25,398	12,22,627

उक्त तीनों अपीलों में पक्षकार एवं विवादित बिन्दु समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है, निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक–पृथक रखी जा रही है।

लगातार.....2

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या– 1194, 1195 व 1196/2017 ....जिला.......उदयपुर........................

उनवान – मै0 मेवाड़ हॉस्पिटल प्रा0लि0, प्रियदर्शिनीनगर बेदला, उदयपुर बनाम सहायक आयुक्त प्रतिकरापवंचन, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.09.2017	अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान तर्क दिया कि अपीलार्थी व्यवसायी एक हॉस्पिटल चलाते है। व्यवसायी द्वारा ऑपरेशन के दौरान Implant एवं Consumables goods काम में लिये जो है जो कि एक स्वतंत्र विक्रय नहीं है। परिस्थितियों के अनुसार Implant का उपयोग होता है, यह एक प्रकार की सेवा है। सशक्त अधिकारी ने इसे बिक्री मानते हुए इस पर कर, ब्याज व शास्ति आरोपित करने में विधिक भूल की है। अपीलीय अधिकारी ने भी केवल शास्ति राशि को ही अपास्त किया है। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित भारत संचार निगल लि0 व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य निर्णय दिनांक 02.03.2006, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित इन्टरनेशनल हॉस्पिटल प्रा0लि0 बनाम उत्तरप्रदेश राज्य व अन्य निर्णय दिनांक 06.02.2014 व झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित टाटा मैन हॉस्टिल बनाम झारखण्ड राज्य व अन्य निर्णय दिनांक 07.09.2007 आदि पेश करते हुए कथन किया कि उक्त निर्णय के अनुसार अपीलार्थी उपरोक्त तालिका के कॉलम संख्या 6 में वर्णित राशि को स्थगित करने का निवेदन किया है। प्रत्यर्थी–राजस्व के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने सशक्त अधिकारी के आदेशों को उचित बताते हुए, अपीलार्थी की अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का निवेदन किया। उभयपक्षीय बहस सुनी गयी। रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। अपीलार्थी का अपील में मुख्य आधार यह है कि व्यवसायी जो कि हॉस्पिटल चलाते है, द्वारा ऑपरेशन के दौरान Implant एवं Consumables goods काम में लिये जो है जो कि एक स्वतंत्र विक्रय नहीं है। परिस्थितियों के अनुसार Implant का उपयोग होता है, यह एक प्रकार की सेवा है। सशक्त अधिकारी ने इसे बिक्री मानते हुए इस पर कर, ब्याज व शास्ति आरोपित करने में विधिक भूल की है। 278 लगातार...........3	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या– 1194, 1195 व 1196/2017 .....जिला.....उदयपुर.....

उनवान – मै0 मेवाड़ हॉस्पिटल प्रा0लि0, प्रियदर्शिनीनगर बेदला, उदयपुर बनाम सहायक आयुक्त प्रतिकरापवंचन, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.09.2017	– 3 – कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 17.01.2017 के अनुसार सर्वेक्षण के समय कम्पनी के फाईनेन्स मैनेजर ने यह स्वीकार किया है कि Implant का रोगी को विक्रय बिल जारी किया जाता है एवं दवाई, Implants एवं Surgical Consumables goods की पृथक से कीमत वसूल की जाती है। सेम्पल के रूप में विक्रय बिल की प्रति भी निर्णय में उल्लेखित की गई है जिसमें Mewar Medicals (A Unit of Mewar Hospitals Pvt. Ltd.) द्वारा आईटम Scorpio NRG TKR System with all का बिल राशि रू 1,58,600/– अंकित है। हॉस्पिटल द्वारा किये गये सव्यवहारों से यह स्पष्ट है कि Implants आदि की अलग से बिक्री की जाती है जो अधिनियम 2003 की धारा 2(35) के अनुसार बिक्री की श्रेणी में होने के कारण धारा 2(6) के अनुसार व्यवसाय है जिससे हॉस्पिटल धारा 2(11) के अनुसार डीलर की श्रेणी में माना जायेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टेट ऑफ गुजरात बनाम रायपुर मैन्युफेक्चरिंग कम्पनी लि. की अवधारणा के अनुसार किसी वस्तु विशेष सम्बन्धि सव्यवहारों का व्यवसाय होना या नहीं होना उस वस्तु विशेष से सम्बन्धित सव्यवहारों की मात्रा, आवृत्ति, निरन्तरता एवं नियमितता पर निर्भर है। कम्पनी व्यवहारी द्वारा Implants एवं Surgical, Consumables goods का सव्यवहार करोड़ों में है तथा यह निरन्तर एवं नियमित रूप से किया जा रहा है जिससे व्यवसाय होने की पुष्टि होती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स भारत संचार निगम लिमिटेड के प्रकरण में हॉस्पिटल के सम्बन्ध में की गई टिप्पणी प्रकरण पर लागू नहीं होती है क्यों कि उक्त निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हॉस्पिटल संव्यवहारों पर कर देयता पर विचार नहीं किया था एवं ना ही इस सम्बन्ध में कोई विस्तृत तर्क माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे। उक्त निर्णय में हॉस्पिटल सर्विसेज सम्बन्धी टिप्पणी केवल उदाहरणार्थ की गई है। इसी निर्णय का वह भाग इस प्रकरण में कहीं अधिक महत्वपूर्ण है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह रेखांकित किया है कि वही 'कम्पोजिट कॉन्ट्रेक्ट' करारोपण की दृष्टि से विभाज्य हैं जिनमें दो स्पष्टतः भिन्न सेवा एवं वस्तु सम्बन्धी अनुबन्ध दृष्टिगोचर होते हों। माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय का टाटा मेन हॉस्पिटल	

लगातार 4

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या– 1194, 1195 व 1196/2017 .....जिला.....उदयपुर.....

उनवान – मै0 मेवाड़ हॉस्पिटल प्रा0लि0, प्रियदर्शिनीनगर बेदला, उदयपुर बनाम सहायक आयुक्त प्रतिकरापवंचन, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.09.2017	– 5 – के प्रकरण में दिया गया निर्णय प्रश्नगत प्रकरण में लागू नहीं होता है क्योंकि प्रश्नगत प्रकरण में व्यवहारी द्वारा अधिकांश बिलों में दवाईयों एवं स्टेन्ट की पृथक से राशि चार्ज की गई है। इसके विपरीत माननीय केरला उच्च न्यायालय ने मंलकारा ओरथोडोक्स सीरीयन चर्च बनाम सेल्स टैक्स ऑफिसर व अन्य निर्णय दिनांक 20.12.2002 में हास्पिटल में सप्लाई की जाने वाली दवाईयों को कर योग्य बताया है क्योंकि दवाईयों का खर्चा अस्पताल में भर्ती व्यक्ति के कुल खर्चे का मुख्य भाग होता है न कि अनुसांगिक। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स बिल्डर्स ऐसोसिएशन ऑफ इण्डिया विरूद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदर्स एवं मैसर्स ऐसोसिएट सीमेंट कम्पनी लि. विरूद्ध कमिश्नर ऑफ कस्टम्स के प्रकरणों में दिये गये निर्णय में प्रत्येक कम्पोजिट अनुबन्ध को करारोपण हेतु विभाज्य माना है एवं 'डोमिनेन्ट नेचर टेस्ट' को गैरजरूरी करार दिया है। इस प्रकार अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार विधिक स्थिति स्पष्ट है तथा सम्माननीय न्यायिक दृष्टांत स्पष्ट रूप से अपीलार्थी के पक्ष को प्रथम दृष्टया पुष्ट नहीं करते है जिससे यह अपील Good cause की श्रेणी में नहीं होने के कारण प्रथम दृष्टया मामला अपीलार्थी के पक्ष में नहीं बनता। विधि द्वारा देय कर से राजकीय पक्ष को वंचित करने से अधिक असुविधा राजस्व को होने के कारण सुविधा का संतुलन व महत्वपूर्ण क्षति का मामला भी राजस्व के पक्ष में बनता है न कि अपीलार्थी के पक्ष में। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर अंतिम निर्णय को प्रभावित किये बिना अस्वीकार किये जाते है। मिसल वास्ते बहस दिनांक 20.12.2017 को खण्डपीठ के समक्ष पेश हो। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब हो। (नत्थूराम) सदस्य (वी.श्रीनिवास) अध्यक्ष	